



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 51-2021]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021  
(30 अग्रहायण, 1943 शक)

## विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान 1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 26/संवि० /अनु० 309/2021, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 — हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021.	641-647
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

**भाग-III****हरियाणा सरकार****स्वास्थ्य विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

**संख्या सा० का० नि० 26/संवि० /अनु० 309/2021.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
‘(क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;’।
3. उक्त नियमों में, नियम 5 में, “17” तथा “35” अंकों के स्थान पर, क्रमशः “अठारह” तथा “बयालीस” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—  
(क) भेषजिक अधिकारी की दशा में,—  
(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा  
(ii) 25 प्रतिशत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा प्रयोगशाला तकनीशियन में से पदोन्नति द्वारा ; या  
(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।”।
5. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“14 (1) अनुशासन, शास्तियाँ तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे :  
परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।  
(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।”।
6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

**“परिशिष्ट क**

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	भेषजिक अधिकारी	1066	एफ.पी.एल.-6सैल-1= 35400/-रूपए

**परिशिष्ट ख**  
(देखिए नियम 6)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि, कोई हो
1	2	3	4
1	भेषजिक अधिकारी	<p>(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2 ;</p> <p>(ii) पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या फार्मसी (प्रेक्टिस) में स्नातक या फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री);</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में भेषजिकी, टीका लगाने, पट्टी करने और वार्ड कार्य में भेषजिक के रूप में कम से कम छह मास का प्रशिक्षण;</p> <p>(iv) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31 (क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत;</p> <p>(v) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत या 10+2/बी.ए./एम.ए. या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी ।</p>	<p><b>पदोन्नति द्वारा—</b></p> <p>(i) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2 ;</p> <p>(iii) पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या फार्मसी (प्रेक्टिस) में स्नातक या फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री)</p> <p>(iv) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में भेषजिकी, टीका लगाने, पट्टी करने और वार्ड कार्य में भेषजिक के रूप में कम से कम छह मास का प्रशिक्षण;</p> <p>(v) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31 (क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत;</p> <p>(vi) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत या 10+2/बी.ए./एम.ए. या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी ।</p> <p><b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</b></p> <p>(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2 ;</p> <p>(ii) पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या फार्मसी (प्रेक्टिस) में स्नातक या फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री) ;</p> <p>(iii) फार्मसी अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iv) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31 (क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत; तथा</p> <p>(v) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत या 10+2/बी.ए./एम.ए. या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी ।</p>

**टिप्पण :—** उम्मीदवार, जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने से पहले डी फार्मसी पास किया हुआ है या डी फार्मसी में दाखिला लिया हुआ है, भेषजिक अधिकारी के पद के लिए पात्र होंगे।

## परिशिष्ट ग

[ देखिए नियम 14 (1) ]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	भेषजिक अधिकारी	महानिदेशक	(i) छोटी शास्तियाँ— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा-विहित। (ii) बड़ी शास्तियाँ— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा-विहित।	महानिदेशक	सरकार	सरकार

## परिशिष्ट घ

[ देखिए नियम 14 (2) ]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	भेषजिक अधिकारी	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	महानिदेशक	सरकार"।

राजीव अरोड़ा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****HEALTH DEPARTMENT****Notification**

The 17th December, 2021

**No. G.S.R. 26/Const. /Art. 309/2021.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department, Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Health Department, Pharmacists (Group C) Service (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998, (hereinafter called the said rules), in rule 2, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission;’

3. In the said rules, in rule 5, for the figures “17” and “35”, the words and sign “eighteen” and “forty-two” shall respectively be substituted.

4. In the said rules, in rule 9, for sub-rule (i), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(i) Recruitment to the service shall be made:-

(a) In case of Pharmacy Officer,

(i) 75% by direct recruitment; and

(ii) 25% by Promotion from amongst Multi Purpose Health workers or Laboratory Technicians; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.”.

5. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

“14(1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.”.

6. In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:-

**“Appendix A***(see rule 3)*

Serial Number	Designation of Post	Number of Post	Scale of Pay
1	2	3	4
1.	<b>Pharmacy Officer</b>	1066	FPL-6 ₹35,400/-

**Appendix B***(see rule 6)*

Serial Number	Designation of Post	Academic qualifications and Experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than direct recruitment.
1	2	3	4
	<b>Pharmacy Officer</b>	<p>(i) 10+2 with Science (Physics and Chemistry);</p> <p>(ii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree)</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>Bachelor in Pharmacy (practice)</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>Pharma D. (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or any other institution recognized by the Haryana Government;</p> <p>(iii) At least six months training as Pharmacist in Pharmacy, injections, dressing and indoor in a recognized Hospital;</p> <p>(iv) Registered as a Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a) of the Pharmacy Act. 1948 as applicable to Haryana State;</p> <p>(v) Matric with Hindi/Sanskrit or 10+2/B.A./M.A. or higher education with Hindi as one of the subjects.</p>	<p><b>By Promotion—</b></p> <p>(i) Five year experience as Multipurpose Health worker or Laboratory Technician;</p> <p>(ii) 10+2 with Science (Physics and Chemistry);</p> <p>(iii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree) or</p> <p>Bachelor in Pharmacy (practice) or</p> <p>Pharma D. (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or</p> <p>any other institution recognized by the Haryana Government;</p> <p>(iv) At least six months training as Pharmacist in Pharmacy, injections, dressing and indoor in a recognized Hospital;</p> <p>(v) Registered as a Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a) of the Pharmacy Act, 1948 as applicable to Haryana State;</p> <p>(vi) Matric with Hindi/Sanskrit or 10+2/B.A./M.A. or higher education with Hindi as one of the subjects.</p> <p><b>By transfer or deputation—</b></p> <p>(i) 10+2 with science (Physics and Chemistry);</p> <p>(ii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree) or</p> <p>Bachelor in Pharmacy (practice) or</p> <p>Pharma D. (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or</p>

Serial Number	Designation of Post	Academic qualifications and Experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than direct recruitment.
1	2	3	4
			<p>any other institution recognized by the Haryana Government;</p> <p>(iii) Five year experience as a Pharmacy Officer;</p> <p>(iv) Registered as a Pharmacist with Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a) of the Pharmacy Act, 1948 as applicable to Haryana State;</p> <p>(v) Matric with Hindi/Sanskrit or 10+2/B.A./M.A. or higher education with Hindi as one of the subjects.</p>

**Note:-** The candidates who have passed Diploma in Pharmacy or taken admission before the issuance of this notification will remain eligible for the post of Pharmacy Officer.

#### Appendix C

(see rule 14 (1) )

Serial Number	Designation of post	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Pharmacy Officer</b>	Director General	<p>(i) <b>Minor Penalties-</b> As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016;</p> <p>(ii) <b>Major Penalties-</b> As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.</p>	Director General	Government	Government

**Appendix D**  
(see rule 14 (2))

Serial Number	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	<b>Pharmacy Officer</b>	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director General	Government".

RAJEEV ARORA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Health Department.

**भाग-III****हरियाणा सरकार****स्वास्थ्य विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 17 अप्रैल, 2026

**संख्या सांका०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2026.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भेषजिक (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-

(क) भेषजिक अधिकारी की दशा में,-

(i) 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 5 प्रतिशत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा प्रयोगशाला तकनीशियन में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क तथा ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

**“परिशिष्ट क**

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	भेषजिक अधिकारी	1085	एफपीएल-6क, सैल-1=39,900/-रूपए

**परिशिष्ट ख**

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	भेषजिक अधिकारी	(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मैसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री);	पदोन्नति द्वारा- (i) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2; (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मैसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री);

		<p>(iii) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31 (क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत; तथा</p> <p>(iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;</p>	<p>(iv) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31(क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत; तथा</p> <p>(v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</p> <p>(i) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) के साथ 10+2;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से फार्मसी में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) या पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मा डी (छह वर्षीय डिग्री);</p> <p>(iii) फार्मसी अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iv) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 8) की धारा 31(क) या 31 (ग) या 32 (क) के अधीन हरियाणा राज्य भेषजिक परिषद् से भेषजिक के रूप में पंजीकृत; तथा</p> <p>(v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।</p>
--	--	--	---

**टिप्पणः—** उम्मीदवार, जिन्होंने अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 26/सवि0/अनु0 309/2021, दिनांक 17 दिसम्बर 2021 के जारी होने से पहले डी फार्मसी पास किया हुआ है या डी फार्मसी में दाखिला लिया हुआ है, भेषजिक अधिकारी के पद के लिए पात्र होंगे।”।

डा० सुमिता मिश्रा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**HEALTH DEPARTMENT**

**Notification**

The 17th April, 2026

**No. G.S.R. 6/Const./Art. 309/2026.**— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Health Department Pharmacists (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called as the said rules), in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Recruitment to the service shall be made,-

(a) in case of Pharmacy Officer,-

(i) 95% by direct recruitment, and

(ii) 5% by promotion from amongst Multi Purpose Health workers or Laboratory Technicians; or

(iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.”.

3. In the said rules, for Appendices A and B, the following Appendices shall be substituted, namely:-

**“Appendix A**  
(See rule 3)

Serial Number	Designation	Number of post	Scale of Pay
1	2	3	4
1.	Pharmacy Officer	1085	FPL-6A, Cell-1=Rs. 39,900/-

**Appendix B**  
(See rule 7)

Serial Number	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than direct recruitment.
1	2	3	4
1.	Pharmacy Officer	(i) 10+2 with Science (Physics and Chemistry); (ii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree course) from any recognized university/institute or Pharma D (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or any other institution recognized by the State of Haryana; (iii) Registered as Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a) of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act 8 of 1948) as applicable to the State of Haryana; and	By Promotion- (i) Five years experience as Multipurpose Health Worker or Laboratory Technician; (ii) 10+2 with Science (Physics and Chemistry); (iii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree course) from any recognized university/institute or Pharma D (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or any other institution recognized by the State of Haryana; (iv) Registered as a Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a)

		<p>(iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.</p>	<p>of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act 8 of 1948) as applicable to the State of Haryana; and</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.</p> <p>By transfer or deputation-</p> <p>(i) 10+2 with Science (Physics and Chemistry);</p> <p>(ii) Bachelor in Pharmacy (Four Years Degree course) from any recognized university/institute or Pharma D (Six Years Degree) from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak or any other institution recognized by the State of Haryana;</p> <p>(iii) Five years experience as a Pharmacy Officer;</p> <p>(iv) Registered as a Pharmacist with the Haryana State Pharmacy Council under section 31(a) or 31(c) or 32(a) of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act 8 of 1948) as applicable to the State of Haryana;</p> <p>(v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.</p>
--	--	---	---

Note.- The candidates who have passed Diploma in Pharmacy or taken admission before the issuance of the notification No. G.S.R. 26/Const./Art.309/2021, dated the 17<sup>th</sup> December, 2021 shall be eligible for the post of Pharmacy Officer.”.

DR. SUMITA MISRA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Health Department.